<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 25.10.2021</u>

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

<u>अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय</u> पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजबहादुर निषाद पुत्र पचई निषाद नि0 टेपरहन पुरवा ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 173/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजकुमार पुत्र समयदीन नि0 खिरिया कॉलोनी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 364/21, 02. श्रीमती मीना पत्नी उदयभान सोनकर नि0 पकड़ीहवा धनेश्वरपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 365/21, , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती जोगा देवी पत्नी नन्हकन नि0 अगुवा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 321/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u> <u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u> <u>दिनांक 25.10.2021</u>

सार्वजनिक स्थान पर फब्तिया कसने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके साथ दुर्व्यवेहार करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने सार्वजनिक स्थान इटियाथोक चौराहे के पास से महिलाओं/बालिकाओं को देखकर फब्तिया कसने के आरोप में अभियुक्त मो0इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 इमरान पुत्र अतीकुर्रहमान नि0 ज्वालापुर पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 357/21, धारा 294 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक- 25.10.2021

थाना को0देहात ने नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों 01. रजीउल्ला, 02. आजम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0देहात में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 01. रजीउल्ला पुत्र अली हुसैन नि0 मो0 तोपखाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
- 02. आजम पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ चारा नि0 नौसहरा थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

- 01. मु0अ0सं0- 394/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
- 02. मु0अ0सं0- 395/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. उ0नि0 सुनील कुमार रावत मय टीम।